प्रेस नोट थाना उघैती जनपद बदायूँ दि0 03.10.2024)

> अंतरराज्यीय कडिया सासी टप्पेबाजी गैंग का पर्दाफाश

> ''दिनदहाड़े कस्बा उघैती स्थित पालीवाल स्वीटस के सामने मो0सा0 की डिग्गी से चोरी हुए 04 लाख 95 हजार रुपये की घटना का खुलासा कर 04 लाख रुपये की बरामदगी''

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कृष्णकान्त सरोज के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिल्सी श्री उमेशचन्द्र के नेतृत्व में थाना उघैती पुलिस द्वारा कस्बा उघैती में पीड़ित से दिनदहाडे 04 लाख 95 हजार रुपये की चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया।

घटना क्रम :- दिनांक 10.09.2024 को ग्राम उघैती गर्वी के प्रधानपति श्री मुनेन्द्र सिंह का भतीजा युगवीर पुत्र प्रेमपाल सिंह ने कस्बा बिल्सी स्थित स्टेट बैंक आफ इन्डिया से 4 लाख 95 हजार रुपये निकालकर वापस अपने गाँव उघैती गर्वी आ रहा था। कस्बा उघैती स्थित पालीवाल स्वीटस की दुकान के सामने मो0सा0 खडी कर दुकान में पानी पीने चला गया तभी दो व्यक्ति अज्ञात मो0सा0 पर आये और मो0सा0 की साइड में लगे बैग के अन्दर रखे थैले जिसमें उक्त रुपये थे चोरी कर फरार हो गए, उक्त घटनाक्रम के थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 220/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटनाक्रम के खुलासे हेतु कस्बा उघैती रोड पर लगे सीसीटीवी एवं कस्बा बिल्सी बैंक से कस्बा उघैती तक पीडित के आने वाले रास्ते पर लगे सभी सीसीटीवी को बारीकी एवं गहनता से चैक किया गया तो दो व्यक्ति संदिग्घ दिखाई दिये एवं पीडित के पीछे पीछे घटनास्थल तक आना एवं रुपये चोरी कर ले जाना ज्ञात हुआ।

इस क्रम में घटना के खुलासे में प्राप्त गोपनीय सूचनाओं एवं उच्चाधिकारीगण के सहयोग से टीम मध्यप्रदेश के जिला राजगढ़ स्थित थाना बोड़ा पहुंची, जहाँ पूर्व से प्राप्त सूचनाओं की सत्यता की जांच की गई तो पाया गया कि थाना उपरोक्त अंतर्गत ग्राम कड़िया की सांसी जनजाति के लोग जो पूरे देश में फैलकर होटलो में रुककर चोरी का कार्य करते है। सीसीटीवी कैमरो में दिखाई दे रहे संदिग्घो की पहचान स्थानीय मुखबिरों द्वारा कराई गई तो इनके नाम पते निम्न पाये गये। स्थानीय मुखबिर व गोपनीय जानकारी

से आज दि0 03.10.2024 को दोनो अभियुक्तो के कब्जे से उघैती पुलिस द्वारा 04 लाख रुपये व पीडित की चोरी की गई चैकबुक बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी। घटना में सम्मिलित दोनो बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गये।

घटना में सम्मिलित अभियुक्त का नाम व पता –

1. रिक्को उर्फ ऋषिकेश उम्र 25 वर्ष पुत्र बालू उर्फ बालकृष्ण नि0 कडिया सासी थाना बोड़ा जिला राजगढ (मध्यप्रदेश)
2. गौरव उम्र 20 वर्ष पुत्र गोविन्द सासी सिसौदिया नि0 कडिया सासी थाना बोड़ा जिला राजगढ (मध्यप्रदेश)

बरामदगी का विवरण –

1. 04 लाख रुपये, चोरी की गयी चैकबुक

अपराध करने का तरीका –

मध्यप्रदेश के जनपद राजगढ में थाना बोड़ा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कडिया सासी में खानाबदोश अपराधिक जनजाति सांसी के लोग रहते है। ये लोग पूरे देश के अलग – अलग शहरो में फैलकर बैंको की मुख्य शाखाओ में जाते है वहाँ बैंक खुलने के समय ही किसी व्यापारी/व्यक्ति जिसके थैले में रुपये रहते है या बैंक का स्वयं का रुपया होता है उसी पर ध्यान केन्द्रित कर रुपयो के स्वामियो का जरा सा भी ध्यान हटने पर प्रोफेशनल तरीके से बैग(रुपये) चोरी करते है तथा अपनी मो0सा0 से जल्द से जल्द फरार होकर जिले से बाहर भाग जाते है।

गैंग का अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त रिक्को उर्फ ऋषिकेश उपरोक्त

- मु0अ0सं0 141/18 धारा 447/377 भादवि थाना अखलेश्वर, गुजरात,
- मु0अ0सं0 06/19 धारा 379/411 भादवि थाना मौरवो जिला मौरवो, गुजरात,
- मु0अ0सं0 220/24 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना उघैती, बदायूँ उ0प्र0

अभियुक्त गौरव उपरोक्त

- मु0अ0सं0 803/18 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली नगर जिला पन्ना, मध्यप्रदेश,
- मु0अ0सं0 206/18 धारा 380 भादवि थाना तालबेर जनपद ललितपुर, उत्तरप्रदेश,
- मु0अ0सं0 62/19 धारा 379 भादवि थाना गुवारो घाट, जनपद जबलपुर, मध्यप्रदेश,
- मु0अ0सं0 174/20 धारा 401 भादवि थाना बोडा जिला राजगढ, मध्यप्रदेश,
- मु0अ0सं0 220/24 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना उघैती, बदायूँ उ0प्र0

बरामदगी में सम्मिलित टीम –

थानाध्यक्ष राजेश कौशिक थाना उघैती बदायूँ,
उ0नि0 हर्देश कुमार थाना उघैती बदायूँ,
कां0 1678 गजेन्द्र थाना उघैती बदायूँ,
कां0 1631 प्रदीप थाना उघैती बदायूँ,
कां0 1386 चाँद थाना उघैती बदायूँ।

मीडिया सैल
बदायूँ